न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर जिला अजमेर

सपुर्दगीनामा प्रार्थना पत्र–55/2018 (रसद प्रा. पत्र सं. 01/2018
राज0सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक पीसांगन बनाम श्री रामनारायण व अन्य)

हरदीप सोनी पुत्र प्रेमसिंह सोनी, 5/98, बी ब्लॉक, पंचशील कॉलोनी, अजमेर।

................प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये जिला रसद अधिकारी अजमेर II ....अप्रार्थी

उपस्थित :– श्री मनीष सेठी — अभिभाषक प्रार्थी
श्रीमति रेणुका चतुर्वेदी प्रवर्तन अधिकारी — पेरोकार सरकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 वास्ते सुपुर्दगीनामा पर वाहन RJ-01 G B 0298 छोडे जाने बाबत

आदेश

दिनांक– 12.09.2018

सुपुर्दगीनामा प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के उक्त वाहन को थाना मांगलियावास द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 32/18 में जब्त कर रखा है। प्रार्थी द्वारा उक्त वाहन को छुडाने हेतु एक प्रार्थना पत्र न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अजमेर के यहॉ प्रस्तुत किया जिसे माननीय न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 02.08.2018 द्वारा यह कहकर खारिज किया कि आवश्यक वस्तु अधिनियम में जब्त वस्तु को छोडने का क्षैत्राधिकार न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट को है। प्रार्थी उक्त वाहन का रजिस्टर्ड स्वामी है जो सुपुर्दगीनामें पर उक्त वाहन को छुडाना चाहता है। वाहन थाने में खुले में पडा हुआ है, जिसके खराब होने की संभावना है। वाहन प्रार्थी की आय का साधन है। प्रकरण में कोई अनुसंधान शेष नहीं है। अब पुलिस को वाहन की आवश्यकता नहीं है। मूल प्रकरण के निस्तारण में समय लग सकता है। प्रार्थी उक्त वाहन को सुपुर्दगीनामें पर छोडने बाबत न्यायालय द्वारा पारित प्रत्येक आदेश की पालना को तत्पर है। प्रार्थी का जब्त वाहन संख्या RJ-01 G B 0298 को सुपुर्दगीनामें पर लौटाये जाने के आदेश हेतु यह प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर जिला रसद अधिकारी अजमेर को प्रति प्रेषित की जाकर पैरावाइज टिप्पणी तलब की गई। तत्पश्चात उभयपक्ष द्वारा सुनवाई चाहने पर उन्हें सुना गया।

अभिभाषक प्रार्थी ने निवेदन किया कि पैरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत मूल प्रकरण सरकार बनाम श्री रामनारायण व अन्य में प्रार्थी पक्षकार नहीं है तथा ना ही प्रार्थी के वाहन संख्या RJ-01 G B 0298 को जब्त सरकार करने एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत राजसात करने का उल्लेख किया गया है। जबकि प्रार्थी के उक्त वाहन को थाना मांगलियावास द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 32/18 में जब्त कर रखा है। उक्त वाहन को छुडाने हेतु प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अजमेर के यहाँ प्रस्तुत किया जिसे माननीय न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 02.08.2018 द्वारा यह कहकर खारिज कर दिया कि आवश्यक वस्तु अधिनियम में जब्त वस्तु को छोड़ने का क्षेत्राधिकार न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट को है। प्रार्थी उक्त वाहन का रजिस्टर्ड स्वामी है, वाहन के थाने में खुले में पड़े रहने से खराब होने की संभावना है। वाहन, प्रार्थी की आय का साधन है। अब पुलिस को वाहन की आवश्यकता नहीं है। प्रकरण में कोई अनुसंधान शेष नहीं है। मूल प्रकरण के निस्तारण में समय लग सकता है। प्रार्थी, उक्त वाहन को छुड़वाने बाबत न्यायालय द्वारा पारित प्रत्येक आदेश की पालना को तत्पर है। अतः प्रार्थी का जब्त वाहन संख्या RJ-01 G B 0298 को सुपुर्दगीनामें पर लौटाये जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

जवाब में पैरोकार सरकार ने निवेदन किया कि दिनांक 07.01.2018 को अवैध रिफलिंग की सूचना पर जिला रसद अधिकारी (द्वितीय) के निर्देशानुसार प्रार्थी के मौके पर पहुँचने पर पुलिस थाना मांगलियावास द्वारा रोकी गई एक मारूती वैन आर. जे. 01 यू.ए. 3028 जिसमें दो घरेलू तथा पांच व्यवसायिक गैस सिलेण्डर, गैस भट्टी, चूल्हा मय रेगूलेटर, पानी गर्म करने की दो केतलियॉ, अवैध तरीके से एक सिलेण्डर से दूसरे सिलेण्डर में गैस ट्रान्सफर करने की वंसरी बरामद हुई। इसी के निकट खड़े आई.ओ.सी कम्पनी के ट्रक नं0 आर जे 01 जी.बी. / 0298 मे से 21 सिलेण्डर सील हटे हुए नीचे बिखरे पड़े पाये गये। मौका स्थिति एवं प्राप्त जानकारी मुताबिक दिनांक 6.1. 2018 को दिन में 12.40 पर इनवाईस नं0 703444928 के साथ मैसर्स बालाजी ट्रान्सपोर्ट कम्पनी अजमेर का ट्रक आई.ओ.सी प्लान्ट तबीजी से बी.के.एन्टरप्राईजेज पाली के लिए रवाना हुआ। ट्रक ड्राईवर द्वारा अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर रास्ते में अवैध रिफलिंग का काम शुरू कर दिया जिसे पुलिस द्वारा पकड लिया गया। पूछताछ में ट्रक ड्राईवर रामनारायण ने अवैध रिफलिंग किया जाना स्वीकार किया गया। गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण एवं परिवहन पाये जाने पर प्रार्थी, प्रवर्तन अधिकारी द्वारा ट्रक में लाये गये 21 घरेलू सिलेण्डर तथा मारूति वैन नं0 आर.जे. 01 / यू.ए. / 3028 से बरामद 7 गैस सिलेण्डर (2 घरेलू तथा 5 व्यवसायिक) गैस भट्टी, चूल्हा मय रेगूलेटर,पाईप, पानी गर्म करने की दो केतलियॉ जब्त सरकार कर उक्त सामग्री को राजसात करने हेतु प्रार्थना पत्र आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत श्रीमान् के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जो प्रकरण संख्या 01 / 2018 बउनवान सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक बनाम रामनारायण एवं अन्य, विचाराधीन है। अप्रयुक्त गैस सिलेण्डर 429 मय ट्रक नं0 आर जे 01 जी.बी. / 0298 को वास्ते परीक्षण एवं उचित कार्यवाही हेतु सीनियर प्लान्ट मैनेजर, आई.ओ.सी बॉटलिंग प्लान्ट, तबीजी, अजमेर को सौंपें गये। प्रवर्तन दल द्वारा उक्त प्रकरण में ट्रक सं0 आर जे–01–जीबी–0298 की जप्ती नहीं की गई थी।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के प्रश्नगत मूल प्रार्थना पत्र, फर्द मौका जप्ती में ट्रक नं0 आर जे 01 जी.बी. / 0298 को जब्त सरकार करने अथवा राजसात करने का उल्लेख नहीं है। आरोपियों द्वारा किये गये अवैद्य कृत्य के तहत जब्त शुदा सामग्री 21 घरेलू सिलेण्डर तथा मारूति वैन नं0 आर.जे. 01 / यू.ए. / 3028 से बरामद 7 गैस सिलेण्डर (2 घरेलू तथा 5 व्यवसायिक) गैस भट्टी, चूल्हा मय रेगूलेटर, पाईप, पानी गर्म करने की दो केतलियॉ को राजसात किये जाने के आदेश हेतु धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रकरण

जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

सं0 01/2018 इस न्यायालय में विचाराधीन है। इस न्यायालय को कब्जे राज ली गई आवश्यक वस्तु (Essential Commidity) तथा उसके दुरूपयोग हेतु वहन किये जाने वाले वाहन के निस्तारण के अधिकार प्राप्त है। किन्तु प्रश्नगत ट्रक की जब्ती 6 ए के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र से प्रकट नहीं है। पैरोकार सरकार द्वारा अप्रयुक्त गैस सिलेण्डर 429 मय ट्रक नं0 आर जे 01 जी.बी./0298 को वास्ते परीक्षण एवं उचित कार्यवाही हेतु सीनियर प्लान्ट मैनेजर, आई.ओ.सी बॉटलिंग प्लान्ट, तबीजी, अजमेर को सौपें जाने तथा प्रर्वतन दल द्वारा उक्त प्रकरण में ट्रक की जब्ती नहीं किये जाने के कथन कहें है। जबकि प्रार्थी द्वारा थाने में खुले में पडे होने तथा बारिश व धूप से खराब होने कारण ट्रक को सुपुर्दगी नामें पर दिए जाने का निवेदन किया है। उभय पक्ष के विरोधाभाषी कथनों व जाहिर तथ्यों के परिपेक्ष्य में जिला रसद अधिकारी, अजमेर (द्वितीय) को प्रकरण (01/2018) बाबत ट्रक नं0 आर जे 01 जी.बी./0298 की जप्ती/कार्यवाही संबंधी तथ्यों का गहन परीक्षण करने उपरान्त प्रकरण में उक्त वाहन की आवश्यकता नहीं पाये जाने पर नियमानुसार दस्तावेजी सन्तुष्टि के ट्रक नं0 आर जे 01 जी.बी./0298 को प्रार्थी को सुपुर्द किये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश प्रति पालनार्थ प्रेषित हों।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 12.09..2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(आरती डोगरा)
जिला कलक्टर,
अजमेर

Scanned by CamScanner